तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

प्र.सं. 55/2025 जीसीएमएस : 2025/131

1. पलविन्द्र सिंह पुत्र अमृतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 बीएलएम ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. धूड़ाराम पुत्र रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज.काश्त.अधि.

उपस्थिति :-

1. श्री ओम धायल, अधिवक्ता वादी
2. राजपैरोकार
3. एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 1

-:: निर्णय ::-

18.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की विवादित भूमि चक 5 एएसबी खाता सं. 49 में दर्ज मु.नं. 7 प.नं. 194/450 की कुल 6.198है. कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि वादी 620/3099 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 2479/3099 हिस्सा है, जो कि वादी द्वारा मूल खातेदार शान्ति देवी से जरिये बैयनामा दिनांक 18.11.2024 को खरीद की है। विक्रेता के द्वारा कब्जा काश्त के अनुसार विशेष किलाजात कि.नं. 18/0.126 पश्चिमी पासा, 19/0.253, 20/1/0.228, 21/1/0.228, 22/0.253, 23/0.152 पश्चिमी पासा कुल 1.240है. कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी रकबा का कब्जा वादी को बैयनामा के रोज सुपुर्द कर दिया गया था जिस पर वादी बैयनामा दिनांक से निरन्तर शान्ति पूर्वक मालिक काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि का खाता विभाजन कर वादी को उसके कब्जा काश्त के अनुसार विशेष किलाजात कि.नं. 18/0.126 पश्चिमी पासा, 19/0.253, 20/1/0.228, 21/1/0.228, 22/0.253, 23/0.152 पश्चिमी पासा कुल 1.240है. कमाण्ड/अनकमाण्ड का खातेदार टीनेन्ट घोषित कर विभाजन का अंकन किये जाने हेतु आदेश देने बाबत डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया गया है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। राजपैरोकार जवाब सरकार पेश कर राज्य सरकार के हक व हकूक को सुरक्षित रखते हुए वाद का निर्णय फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी की ओर से प्रकरण के किसी प्रकार का लिखित अभिकथन अथवा आपत्ति एतराज प्रकट नहीं किये जाने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र वादी पलविन्द्र सिंह का पेश हुआ जिस पर [illegible] प्रदर्श लगाए गए। बहस वकील वादी सुनी गयी। वकील [illegible] नि[illegible] किया कि विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त [illegible]की खातेदारी भूमि है जिसका किलेवाईज [illegible] करवाने [illegible] वादी विधिक अधिकारी है। वादी द्वारा भूमि जरिए बैयनामा क्रय [illegible] गयी है, विक्रेता के द्वारा वादी को बैयनामा की रोज विशेष किलाजा[illegible] का कब्जा सौंपा था, जिस पर वादी आज भी शान्तिपूर्व काबिज काश्त है। जिस कारण वादी उक्त किलाजात को विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद पत्र डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:41:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

बहस वकील वादी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज संयुक्त खाता की विवादित भूमि का किलेवाईज विभाजन कर विशेष किलाजात विभाजन में वादी को दिए जाने और उस पर वादी को खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। प्रदर्श –1 जमाबंदी चक 5 ए.एस. बी खाता सं. 49 है, जिसमें मु.नं. 7 प.नं. 194/450 की कुल 6.198है. अ.क./कमाण्ड भूमि पलविन्द्र सिंह पुत्र अमृतपाल सिंह हिस्सा 620/3099 व धूडाराम पुत्र रामपत हिस्सा 2479/3099 के नाम से संयुक्त खाता में खातेदार दर्ज है। चूंकि वादी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है जो प्रतिवादी के साथ सहखातेदारी में दर्ज है ऐसे में प्रकरण खातेदारी अधिकारों की घोषणा का न होकर मात्र खाता विभाजन से संबंधित है। विवादित भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रदर्श 2ए हल्फनामा शान्ति देवी है, जिसमें वादी द्वारा विभाजन में चाहे जा रहे विशेष किलाजात को उल्लेखित करते हुए रकबा दिनांक 18.11.2024 को पलविन्द्र सिंह को विक्रय कर कब्जा संभलाया जाना वर्णित है। प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से किसी प्रकार का एतराज व आपत्ति प्रकट नहीं किये जाने के कारण प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव मंगवाने की आवश्यक्ता नहीं है। वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित है।

लिहाजा वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि चक 5 ए.एस. बी खाता सं. 49 में दर्ज मु.नं. 7 प.नं. 194/450 की कुल 6.198है. अ.क./कमाण्ड भूमि का वादी का प्रतिवादी सं. 1 से अद्योलिखित अनुसार खाता विभाजन किया जाता है :–

वादी पलविन्द्र सिंह पुत्र अमृतपाल सिंह :– चक 5 एएस बी मु.नं. 7 प.नं. 194/450 कि.नं. 18/0.126 पश्चिमी पासा, 19/0.253, 20/1/0.228, 21/1/0.228, 22/0.253, 23/0.152 पश्चिमी पासा कुल 1.240है. कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदार

शेष भूमि सहखातेदार/प्रतिवादी सं. 1 धूड़ाराम के नाम से यथावत रहेगी। शेष अंकन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर उपर्युक्तानुसार वादी के नाम से विभाजित भूमि का पृथक खाता में अमल दरामद करें। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:41:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर